



## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस ट्रस्ट)

---

### क्या आप अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभिदाता हैं ?

यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित बात पर ध्यान दें :

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को दीर्घायु तक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की।

एपीवाई के तहत, भारत सरकार भी अभिदाता के अंशदान का 50% या रुपये 1,000/- जो भी कम हो, का प्रति वर्ष सह अंशदान करती है। सरकारी सह अंशदान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो लोग किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल नहीं हैं और आयकर प्रदाता नहीं हैं। भारत सरकार, प्रत्येक पात्र अभिदाता के लिए, जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच योजना में शामिल हुए हैं, पांच साल की अवधि के लिए सह अंशदान देगी। एपीवाई के तहत पांच साल वाले सरकारी सह-अंशदान का लाभ सभी अभिदाताओं के लिए पांच साल से अधिक नहीं होगा, जिसमें स्वावलंबन से स्थानांतरित लाभार्थी भी शामिल हैं।

अभी तक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने संबंधित लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए एपीवाई सेवाप्रदाताओं (एपीवाई एसपीज़) को सरकार के कई सह अंशदान जारी किए हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि एपीवाई अभिदाता वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सरकार के सह-अंशदान की प्राप्ति के लिए अपने बैंक खाते की जाँच करें, जो कि 2015 के बाद से उसके अपने अंशदान पर निर्भर है।

यदि आप किसी भी समस्या का सामना करते हैं या इस संबंध में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप एनपीएस न्यास से, अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और अपने स्वयं के और अपने एपीवाई सेवाप्रदाता के विवरण के साथ ईमेल : [grievances@npstrust.org.in](mailto:grievances@npstrust.org.in) के माध्यम से संपर्क करें।